संख्याः- 6 -एक(6)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

वी० लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता
उत्तरांचल ।

देहरादूनःदिनांकः 21 अप्रैल, 2003

न्याय विभाग

विषयः महाधिवक्ता कार्यालय हेतु विविध श्रेणियों के 17 अतिरिक्त पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने से सम्बन्धित ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20/2003-2004, दिनांक 18.4.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय न्याय विभाग के शासनादेश संख्या-3-एक (6)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 23 जनवरी, 2003 द्वारा सृजित विविध श्रेणियों के 17 अतिरिक्त पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 1.3.2003 से 29.2.2004 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । उक्त के साथ इस हेतु स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- उक्त कार्यालय के पद धारण करने वाले कर्मचारियों की निरन्तर नियुक्ति भी शासन के अग्रिम आदेशों तक स्वीकृत की जाती है ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-00-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00" के अन्तर्गत सुसंगत ईकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-870/दस-92-24(8)/92, दिनांक 7.11.92, जो उत्तरांचल राज्य में भी अनुकूलित है, द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है ।

भवदीय,

(वी० लाल)
सचिव ।

संख्याः- 8 -एक(4)(1)/न्याय विभाग/2003-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- वित्त अनुभाग-3 / नियुक्ति अनुभाग/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

22/4

(यू.सी. ध्यानी)
अपर सचिव ।